राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/ दिनाँक :

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया हैं कि विभाग में नर्सिंग संवर्ग के नर्स श्रेणी द्वितीय कई जिलों में अभी भी अधिशेष चल रहे है, जिनका नियमित वेतन आहरण नही किया जा रहा हैं।

अतः इस संबंध में समस्त नियंत्रण अधिकारी – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आपके अधीन अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय के वेतन भुगतान/पदस्थापन के संबंध में निदेशालय स्तर से जारी पूर्व पत्र क्रमांक अराज/सामान्य/2016/554 दिनाँक 25.05.2016 तथा नर्सिंग/नर्स–2/सीधी भर्ती 2013/सामान्य/2016/338 दिनाँक 29.09.2016 की निरन्तरता में निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

- जिन चिकित्सा संस्थानों में नर्स श्रेणी द्वितीय अधिशेष हैं, उन्हे जिले में ही अन्य चिकित्सा संस्थानों (CMHO & PMO) पर चल रहे नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद पर समायोजन करें। किसी भी जिले में अधिशेष एवं रिक्त पदों की स्थिति एक साथ नही होनी चाहिए।
- उक्त कार्यवाही के पश्चात जिन चिकित्सा संस्थानों (CMHO & PMO) में नर्स श्रेणी प्रथम के पद रिक्त हैं, वहां पर अधिशेष कार्मिकों (नर्स श्रेणी द्वितीय) को समायोजित करते हुये उनका वेतन उसी संस्थान से आहरित करें।
- यह सुनिश्चित करे कि समस्त नर्स श्रेणी द्वितीय उनके मूल पद पर अथवा नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पद पर समायोजित हो गये हैं।
- उक्त कार्यवाही के पश्चात भी यदि आपके जिले में नर्स श्रेणी द्वितीय जो कि वेतन आहरण नही होने के कारण अधिशेष रहते है, तो उनकी सूची मय कार्यग्रहण तिथि के तथा किस कारण से अधिशेष हैं अंकित करते हुये तत्काल व्यक्ति विशेष के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/988 दिनाँक : 06-07-2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन।
5. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur